

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

| क्र०<br>स० | नाम अधिकारी व पदस्थापन<br>स्थान सर्वश्री/श्रीमती     | पद                     | जन्म तिथि  | प्रथम नियुक्ति<br>पर कार्यगृहण<br>तिथि | 10/20/30/ वर्ष पूर्ण<br>करने की तिथि |            | प्रथम/द्वितीय<br>व तृतीय<br>एसीपी देय<br>तिथि | एसीपी दिये<br>जाने पर<br>देय<br>ग्रेड-पे/<br>पे-लेवल |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1          | सुरेश चन्द्र लाहोटी, राउमावि,<br>सादडी जिला राजसमंद  | से०नि०<br>प्रधानाचार्य | 04-03-1961 | 20-12-1984                             | 20 YEAR                              | 19-12-2004 | 01-09-2006                                    | 4800/-                                               |
| 2          | साधना दीक्षित राउमावि,<br>धुवाकंला-देवली, जिला टोंक  | से०नि०<br>प्रधानाचार्य | 17-02-1962 | 20-12-1990                             | 30 YEAR                              | 19-12-2020 | 20-12-2020                                    | L-17                                                 |
| 3          | रामनिवास साहु राउमावि<br>रातडिया जिला पाली           | से०नि०<br>प्रधानाचार्य | 30-01-1953 | 12-10-1978                             | 30 YEAR                              | 11-10-2008 | 12-10-2008                                    | 5400/-                                               |
| 4          | सुजान सिंह यादव राउमावि<br>भुनगड़ा-अहीर,जिला अलवर    | से०नि०<br>प्र०.अ०      | 07-07-1950 | 17-08-1977                             | 30 YEAR                              | 16-08-2007 | 17-08-2007                                    | 5400/-                                               |
| 5          | लक्ष्मीनारायण सुथार,रामावि<br>कुडा-सांचौर,जिला-जालौर | से०नि०<br>प्र०.अ०      | 14-10-1962 | 13-01-1990                             | 30 YEAR                              | 12-01-2020 | 01-07-2020                                    | L-15                                                 |

नोट:-एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा। क्र.स. 3 पर अंकित को निदेशालय के आदेश दिनांक 23.11.11 की पूर्ण पालना करने पर देय होगा

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 04.08.2021

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/एसीपी/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
- 2 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 3 संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
- 4 संबंधित अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 रक्षित पत्रावली

✓ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर